584 577 1R

INDIA

एक रूपया | एक रूपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

सशस्त्र सेना झंडा दिवस

7 दिसम्बर - 7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY

[redacted]

23 I A With the Permission
by L. R. D. C. Simdega
Case no. 142/2018-19
order dt. 15-9-18

रवि रश्मि लकड़ा
8/10/18

विक्रय पत्र

(1) लेख्यकारी:- श्री रवि रश्मि लकड़ा पिता स्व0 जोहन लकड़ा, जाति- उरॉव, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- गोतरा क्लबटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा । आधार कार्ड संख्या 8066 7741 1521

.. .. .. विक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 426/2018

होल्डिंग नं0- 005000051900एम. 0

अंचल द्वारा प्रेषित प्रतिबंधित की सूची में इस पट्टा का खाता नहीं है। 9-10-18

राधेश्याम महतो पिता श्री महीपाल महतो
ग्राम- खलड़ेगा पहान टोली, पो० + थाना + जिला - सिमडेगा
08-10-2018

क्रम संख्या 7915 ता. 5-10-2018
नाम श्रीमति बिरसमुनी उराँव
ग्राम गोतरा डिम्बीयाली सिमडेगा
जिला सिमडेगा केनाला
मूल्य 1/-

6

घनश्याम महतो

21 APR 2018

रवि रश्मि लकड़ा
8/10/18
9.10.18

9-10-18 10 [illegible]

[illegible] मुख्तारनामा [illegible]

श्री / श्रीमती रवि रश्मि लकड़ा
पिता / पति स्व० अशोक लकड़ा
सा० सिमडेगा
निबंधित प्रकाश ठोला उराँव
रश्मि

सिमडेगा (झारखण्ड)

§2§ लेख्यधारिणी :- श्रीमति विरसमुनी उरांव पति श्री महेन्द्र उरांव, जाति- उरांव, पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम- गोतरा डिप्टीटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।
आधार कार्ड संख्या 4148 6654 1016

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

शपथ-पत्र संख्या :- 427 /2018

§3§ लेख्यप्रकार :- विक्रय पत्र केवाला बैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

§4§ मूल्य :- मोबलिग चार लाख रूपये अंके 4,00,000/- रूपये होता है ।

§5§ सम्पति :- एराजियात अन्दर मौजा- गोतरा कल्बटोली, वार्ड नं0 5, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 80, सदर रजिस्ट्री आफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 86 §छियासी§ प्लाट नं0 5223 §बावन सौ तेईस§ रकबा 3.51 एकड़ में से 0.08½ एकड़ §साढ़े आठ डिसमिल§ आवासीय जमीन, जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी :-
उत्तर :- दोन जोहन उरांव,
दक्षिण :- टांड़ मनोरंजन लकड़ा,
पूरब :- इसी प्लाट में छोड़ा गया 15 फीट का कच्चा रास्ता,
पश्चिम :- घेरा बारी सौरभ मिंज ।
मालगुजारी 10 पैसा §दस पैसा§ अलावे सेस सलाना ।
मैं घोषणा करता हूँ कि उक्त वर्णित जमीन को पूर्व में बिक्री नहीं किया है ।

§1§ चूँकि मुझ लेखकारी को मकान बनाने एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेखधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

§2§ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर अर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेखधारिणी के हाथ नगद् कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेखधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

§3§ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बिक्रीत जमीन खतियानी है । खतियान में मेरे परदादा डोम्बा उरांव के नाम से नाप दर्ज है । खतियान में जमीन कायमी दर्ज है । नाम लगान पानेवाला मैनेजर इन्कम्बर्ड स्टेट मीन जानिब टिकैत श्रीनिवास हुकुम सिंह देव दर्ज है । पंजी II के भोल्युम संख्या । के पृष्ठ संख्या 138 में मेरे दादा पौलुस उरांव के नाम से जमाबंदी कायम है । मेरे परदादा, दादा एवं पिताजी के निधन के पश्चात उक्त जमीन का आपसी मौखिक भैयादी बँटवारा हो चुका है । जो जमीन मैं बेच रहा हूँ मेरे नीज हिस्से की जमीन है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

(4) चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 142/2018-19 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 15.9.18 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं0 976(11) दिनांक 15.9.18 है ।

(5) अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

(6) इसलिए यह क्रिय पत्र केवाला कैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजरूआ के तहत नहीं है ।

मैं लेखकारी यह घोषणा करता हूँ कि क्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

रवि रश्मि लकड़ा
8/10/18

रवि रश्मि लकड़ा
8/10/18

प्रमाणित किया जाता है कि लेखकारी के बांये हाथ का पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया। संजय कुमार महतो
अधिवक्ता

मैं लेखधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

बिरसमुनी उरांव
8/10/18

प्रमाणित किया जाता है कि लेखधारिणी के बांये हाथ का पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।
संजय कुमार महतो
अधिवक्ता

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
(प्रारूपकर्त्ता)
तारीख:-

प्रमाणित किया जाता है कि यह विक्रय पत्र दस्तावेज कुल छः पन्नों का है जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक
मो० मकसुद
8-10-2018
मो० मकसुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

संलग्नक :-

1. बिक्रेता, क्रेता एवं पहचानकर्त्ता के आधार कार्ड का छायाप्रति,
2. खतियान एवं मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
3. शेड्यूल का मूल प्रति,
4. आदेश एवं अंचल रिपोर्ट का सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि,
5. ट्रेस नक्सा का मूल प्रति एवं सर्वे नक्सा का छायाप्रति,
6. फार्म संख्या । का मूल प्रति,
7. क्रेता का स्थानीय एवं शपथ पत्र का मूल प्रति,
8. होल्डिंग रसीद का छायाप्रति,